न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 60/2021 बउनवानी गजेन्द्र सिंह फौजदार बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर
पुत्र श्री रामसिंह जाट, निवासी सैनिक नगर कॉलेज रोड़ गंगापुर सिटी

GCMS No-2021/181

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
18.8.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 26.4.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर वजीरपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. न्यायालय उप जिला कलेक्टर वजीरपुर में लंबित ऐसे राजस्व प्रकरणों की पत्रावलियों का विवरण उपलब्ध करावे जिनमे रीडर द्वारा आर्डर शीट में यह अंकित किया गया है कि पीठासीन अधिकारी अवकाश पर अथवा मुख्यालय से बाहर है किन्तु उपस्थिति रजिस्टर में उपजिला कलेक्टर के उस दिन के कार्यालय मे उपस्थिति के हस्ताक्षर है। ऐसी पत्रावलियों की माह दिसम्बर,2020 से 25 मई,2021 तक की आर्डर शीट की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं एसडीओ वजीरपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर वजीरपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक/सूचना का अधिकार/2021/1020 दिनांक 12.8.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि उक्त पत्र के माध्यम से अपीलान्ट को सूचित किया जा चुका है कि " अधोहस्ताक्षरकर्ता सभी कार्य दिवसो मे कार्यालय समय में कार्यालय मे उपस्थित रहते है तथा उपखण्ड मुख्यालय पर ही निवास करते है। न्यायालय उपजिला कलेक्टर वजीरपुर में सप्ताह मे तीन दिन सोमवार गुरूवार व शुक्रवार को राजस्व प्रकरणों की सुनवायी की जाती है। ऐसी कोई पत्रावली नही है।" इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 26.4.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना के संबंध मे अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 1020 दिनांक 12.8.2021 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। यद्यपि अपीलान्ट को लोक सूचना अधिकारी द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया है किन्तु अधिनियम की तय समय सीमा 30 दिवस के स्थान पर लगभग 106 दिवस के उपरान्त अवगत कराया गया है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के प्रति गम्भीर नही है। जो उक्त अधिनियम एवं राजकार्य के प्रति [illegible] का प्रतीक है। अतः लोक सूचना अधिकारी उप जिला कलेक्टर वजीरपुर को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य मे उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का अधिनियम की तय समय सीमा मे प्राथमिकता से निस्तारण किया जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Rajendra Kishan Date: 2021.10.22 16:43:48 IST Reason: SelfAttested (राजेन्द्र किशन) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर